



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजी0 संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web: www.lekhpal.wordpress.com

Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव

प्रदेश अध्यक्ष

+91-9456225600

विनोद कुमार कश्यप

प्रदेश महामंत्री

+91-9760398504

पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (30प्र0)

पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रूइकी रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार

(पश्चिमी जोन)

मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह

(मध्य जोन)

मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव

(पूर्वी जोन)

मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर

(पश्चिमी जोन)

मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक

(मध्य जोन)

मो. 9454449099

करुणेश सिंह

(पूर्वी जोन)

मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर

मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह

मो. 8168037301

पत्रांक ५५/१२८११९९
सेवा में ,

दिनांक ... 17-09-2024

मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया

राजस्व परिषद 30 प्र0 लखनऊ

विषय:- विरासत पोर्टल मे तकनीकी समस्याओ के कारण लेखपाल लागिन से कार्य बंद रखने
विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विरासत पोर्टल आर सी 9 पोर्टल मे तकनीकी समस्याओ के कारण लेखपाल लागिन से कार्य नहीं हो पा रहा है। पहले ही वैबसाइट ठी प्रकार न चलने और जांच का समय कम होने की समस्या थी। दो तीन दिन से आदेश के लिए ई परवाना, आदेश करने वाले अधिकारी राजस्व निरीक्षक के स्थान पर लेखपाल लागिन पर जनरेट होने लगा है, जो कि 30 प्र0 राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानो के विपरीत है और पोर्टल से आख्या अग्रसारित नहीं हो पा रही है। आवेदन डिफाल्टर हो रहे हैं और तकनीकी समस्याओ के कारण लेखपालो के खिलाफ उत्पीडनात्मक कारवाई की जा रही है। अपडेट खतौनी लेखपालो को उपलब्ध नहीं कराई गयी और खतौनी पढने के लिए दण्डात्मक कारवाई की जा रही है। रियल टाईम खतौनी गाटावार है जिससे मृतक खातेदारो के कतिपय गाटे विरासत आवेदन से छूटना स्वभाविक है। बहुत दिनों से समस्याओ से अवगत कराने के बावजूद, समस्याओ के समाधान के स्थान पर समस्याओ में वृद्धि होने से प्रदेश के समस्त लेखपालो में कुंठा एवं रोष व्याप्त है।

महोदया से निवेदन है कि विरासत पोर्टल पर लागिन त्वरित रूप से हो, आख्या अग्रसारित हो जाने तक आटो लाग आउट न हो, सर्वर त्वरित गति से निर्बाध रूप से कार्य करे। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आई डी, नकल खतौनी आदि साक्ष्य संलग्नक अपलोड करने और लेखपाल जांच का समय पूर्व सहमति के क्रम में एक सप्ताह के स्थान पर दो सप्ताह किया जाए। ई परवाना लेखपाल के स्थान पर पूर्व की भांति राजस्व निरीक्षक लागिन से ही जनरेट हो। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश में 'राजस्व निरीक्षक/लेखपाल' लिखा हुआ आता है, में से लेखपाल शब्द हटाया जाए। आर टी के बनने

के बाद खतौनी पढ़ने का कार्यक्रम अव्यवहारिक/असंभव होने के कारण बंद किया जाए, उसके स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा अधिकतम विरासत आवेदन एवं उनके निस्तारण पर जोर दिया जाए। उक्त समस्याओं के बावजूद विरासत अभियान के नाम पर अव्यवहारिक आधार पर की गई उत्पीडनात्मक कारवाई समाप्त करवाई जाए।

महोदय बार बार निवेदन के बावजूद विरासत कार्य में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और उत्पीडनात्मक कारवाई की जा रही है जिस कारण उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान शीघ्र न किए जाने की स्थिति में 01-10-2024 से लेखपालों द्वारा ऐसे विरासत पोर्टल पर कार्य नहीं किया जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित पटल का होगा।

महोदय समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।


विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु -

- 1- मा० मुख्य सचिव महोदय उ० प्र० शासन
- 2- मा० प्रमुख सचिव महोदय राजस्व उ० प्र० शासन
- 3- समस्त जिला अधिकारी महोदय उ० प्र०
- 4- मा० प्रदेश अध्यक्ष महोदय उ० प्र० लेखपाल संघ
- 5- समस्त प्रांतीय, मण्डलीय एवं जनपद व तहसील पदाधिकारीगण उ० प्र० लेखपाल संघ


विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

के बाद खतौनी पढने का कार्यक्रम अव्यवहारिक/असंभव होने के कारण बंद किया जाए, उसके स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा अधिकतम विरासत आवेदन एवं उनके निस्तारण पर जोर दिया जाए। उक्त समस्याओं के बावजूद विरासत अभियान के नाम पर अव्यवहारिक आधार पर की गई उत्पीडनात्मक कारवाई समाप्त करवाई जाए।

महोदय बार बार निवेदन के बावजूद विरासत कार्य में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और उत्पीडनात्मक कारवाई की जा रही है जिस कारण उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान शीघ्र न किए जाने की स्थिति में 01-10-2024 से लेखपालों द्वारा ऐसे विरासत पोर्टल पर कार्य नहीं किया जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित पटल का होगा।

महोदय समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु -

- 1- मा० मुख्य सचिव महोदय उ० प्र० शासन
- 2- मा० प्रमुख सचिव महोदय राजस्व उ० प्र० शासन
- 3- समस्त जिला अधिकारी महोदय उ० प्र०
- 4- मा० प्रदेश अध्यक्ष महोदय उ० प्र० लेखपाल संघ
- 5- समस्त प्रांतीय, मण्डलीय एवं जनपद व तहसील पदाधिकारीगण उ० प्र० लेखपाल संघ

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री